राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

क्रमांकः राम/प–2/1/7/रातस/2020/5122 दिनांक :– 16/9/2020

–: परिपत्र :–

प्रायः देखा गया है कि राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी किये जाते हैं एवं जिसके विरूद्ध स्थानांतरित तहसीलदार/ नायब तहसीलदार द्वारा कार्यमुक्त न होकर मा. उच्च न्यायालय अथवा अधिकरण में रिट/ अपील दायर कर दी जाती है। जिसमें मा. न्यायालय /अधिकरण द्वारा सामान्यतया एक पक्षीय आदेश द्वारा स्थानान्तरण आदेश को स्टे कर दिया जाता है। मा. न्यायालय/ अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पालना में मण्डल द्वारा बिना कोई आदेश जारी हुए सम्बंधित तहसीलदार/ नायब तहसीलदार द्वारा सीधे ही सम्बंधित तहसील/ उप–तहसील कार्यालय में कार्यरत रह जाते है। जिसके कारण उस पद पर स्थानांतरित कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण कर लिये जाने के फलस्वरूप वेतन आहरण एवं संस्थापन संबंधी कठिनाईयां उत्पन्न हो जाती है ।

अतः उक्त क्रम में समस्त तहसीलदार/ नायब तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि मा. न्यायालय /अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पालना के संबंध में सर्वप्रथम अभ्यावेदन मय स्थगन आदेश विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करें । जिस पर विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में मण्डल द्वारा जारी आदेश की पालना में सम्बंधित तहसीलदार/ नायब तहसीलदार द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जावें। भविष्य में ऐसा नहीं करने वाले तहसीलदारों/ नायब तहसीलदारों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी ।

आज्ञा से

निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

क्रमांकः सम/ 5123–25। दिनांकः– 16/9/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग ,शासन सचिवालय राज. जयपुर।
3. आयुक्त, भू–प्रबंध विभाग राजस्थान जयपुर।
4. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग बीकानेर।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर।
6. विशिष्ठ सहायक माननीय राजस्व मंत्री महोदय शासन सचिवालय जयपुर।
7. सम्भागीय आयुक्त (समस्त)।
8. जिला कलक्टर (समस्त)।
9. सचिव, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
10. निदेशक, आर.आर.टी.आई. अजमेर।
11. ....।
12. प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/जांच/कम्प्यूटर/रिट) राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
13. सम्बंधित श्री ....
14. आदेश पंजिका / निजी पत्रावली ।

अतिरिक्त निबंधक (रातस)
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर